FORM NO.III
फर्द अहकाम (नियम 26)
अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू
दीवानी मूल वाद संख्या-36/22 (CIS 35/21) महावीर प्रसाद बनाम मंजू देवी
आदेश दिनांक 03.02.2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.02.2026	अधिवक्ता वादी श्री शिवनारायण सिंह एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री विजयपाल उपस्थित। लंबित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 17(1)(बी) भारतीय पंजीकरण अधिनियम पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादी ने उक्त दावा विभाजन विलेख पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया है। उक्त बंटवारानामा अपंजीकृत है। उक्त बंटवारानामा के आधार पर एक पक्षकार के हक में अधिकार का सृजन होता है एवं दूसरे पक्षकार के अधिकार का अवसान होता है, ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारानामा का पंजीबद्ध होना आवश्यक है। वादी द्वारा बंटवारानामा की मद संख्या-1 ए में पट्टा सरोज देवी के नाम से होना कथित किया है, जिसमें प्रतिवादी के अधिकारों का सृजन हो रहा है। इसी प्रकार बंटवारानामा की अन्य मदों में वादी व प्रतिवादी के आपस में एक दूसरे के अधिकारों का सृजन हो रहा है। वाद वर्णित संपत्ति की मालियत 100/- रूपये से अधिक है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत बंटवारानामा अपंजीकृत होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः दस्तावेज प्रदर्शित करवाए जाने की अनुमति नहीं दिए जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए:- 1. RRT 2016-17 540 HC Virendra Kumar & Ors. Vs AdJ NO.1 Alwar 2. 2018 DNJ (SC) 826 Shyam Narayan Prasad Vs Krishna Prasad & Ors. 3. 2003 (1) DNJ (Raj) 107 Parmanand Setia Vs Somlal & ors. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जो बंटवारानामा दिनांकित 27.01.2021 प्रस्तुत किया है उसमें पक्षकारान द्वारा शामलाती रूप से क्रय की गई संपत्तियों का आपस में मिल बैठकर दिनांक 24.01.2021 को विभाजन किया गया है,	

3-2-26
अपर जिला न्यायाधीश संख्या
झुंझुनूं

FORM NO.III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू

दीवानी मूल वाद संख्या-36/22 (CIS 35/21) महावीर प्रसाद बनाम मंजू देवी

आदेश दिनांक 03.02.2026

उसकी लिखावट है। इस प्रकार उक्त बंटवारानामा मेमोरेंडम है जो पारिवारिक व्यवस्था के बाद तैयार किया गया है, जिसका पंजीकृत होना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से मात्र देरी कारित किए जाने के आशय से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए:-

1. AIR 1966 SC 292 Tek bahadur Bhujil Vs Debi Singh Bhujil & Ors.
2. 2009(3) DNJ (Raj) 1549 Prem chand Jain Vs Rent Tribunal Tonk & Ors.
3. AIR 1988 (SC) 881 Roshan Singh & ors. Vs Zile singh
4. 2012(2) RLW (RJ) 848 Gurudayal Singh Vs Kaur Singh & Ors.

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी की ओर से वर्तमान वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है। वादी ने वाद पत्र में वर्णित संपत्तियों का विभाजन दिनांक 24.01.2021 को हो जाने एवं इस विभाजन की याददास्ती बाबत विभाजन विक्रय विलेख दिनांकित 27.01.2021 तहरीर तकमील किये जाना बताया है। प्रतिवादी द्वारा उक्त विभाजन विक्रय विलेख दिनांकित 27.01.2021 अपंजीकृत होने से साक्ष्य में अग्राह्य किए जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसके विपरीत वादी का यह तर्क रहा है कि उक्त दस्तावेज पारिवारिक बंटवारानामा नहीं होकर दिनांक 24.01.2021 को हुए बंटवारे की याददास्ती बाबत लिखावट है जो मेमोरेंडम है और उक्त दस्तावेज का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में उक्त लिखावट का अवलोकन करें तो लिखावट के शीर्षक पर "विभाजन विलेख पत्र" अंकित है। दस्तावेज की विषय वस्तु को पढ़ने से यह प्रकट हो रहा है कि दस्तावेज में स्व. ख्यालीराम की संपत्तियों का बंटवारा पक्षकारान के मध्य किया गया हैं जिसमें क्रम संख्या-1 ए पर अंकित होटल होलीडे का पट्टा वादी की पत्नी के नाम से जारी है का हक अधिकार प्रतिवादी मंजू को दिया गया है। इसी प्रकार दस्तावेज की क्रम संख्या-1 बी सब्जी मंडी में स्थिति दुकान मंजू

3-2-26

FORM NO.III
फर्द अहकाम (नियम 26)
अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू
दीवानी मूल वाद संख्या-36/22 (CIS 35/21) महावीर प्रसाद बनाम मंजू देवी
आदेश दिनांक 03.02.2026

देवी के हिस्से में रहने, मद संख्या-1 सी पर खेत का विभाजन पक्षकारान के मध्य होने, मद संख्या-1 डी ग्राम पंचायत परसरामपुरा स्थित भूमि का विभाजन किये जाने का तथ्य अंकित किया है तथा मद संख्या-2 ए लगायत 2 डी में भी दुकान, भूखण्डों के संबंध में एक पक्षकार द्वारा हक व कब्जा छोड़ा गया है एवं दूसरे पक्षकार के हक व कब्जा संपत्ति के संबंध सृजित हुआ है। विवादित संपत्ति की मालियत 100/- रूपये अधिक होने का तथ्य निर्विवादित है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजात के माध्यम से संपत्ति में के हक अधिकार व कब्जे का हस्तातरंण एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को हुआ है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज की विषय वस्तु को पढ़े जाने से दस्तावेज प्रथम दृष्टया पारिवारिक बंटवारानामा का मेमोरंडम होना न्यायालय नहीं पाता है तथा दस्तावेज पारिवारिक बंटवारानामा की श्रेणी में होना न्यायालय पाता है। उक्त दस्तावेज मात्र 100/-रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित है तथा अपंजीकृत है, जो विधितः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है किन्तु उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में भिन्न होने के कारण प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

परिणामतः प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 17(1)(बी) भारतीय पंजीकरण अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज दिनांकित 27.01.2021 को प्रदर्शित करवाए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

पत्रावली लक्षित प्रकरणों की सूची में 38 वें नंबर पर है, जिसका शीघ्र निस्तारण अपेक्षित है। अतः आगामी पेशी पर वादी अपनी समस्त साक्ष्य एक साथ पेश करें और प्रतिवादी गवाह से आवश्यक रूप से जिरह करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 11.02.2026 को पेश हो।

3-2-26
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1
झुंझुनूं